सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2018/00056

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 30/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) स्थानान्तरण हाल प्रतिनियुक्त श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह पुत्र सोनामल टक्कर (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
   मै0 गोपाल मिष्ठान एंड नमकीन कार्नर, सुखाडिया शोपिंग सेन्टर, 4/161–162 जिला श्रीगंगानगर
   निवासी– सुखाडिया शोपिंग सेन्टर, 4/161–162 जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 उपधारा 26(ii) एवं 51

निर्णय **दिनांक : 21.06.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) स्थानान्तरण हाल प्रतिनियुक्त श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा), दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.17 को दोपहर बाद 3.00 पीएम पर फर्म मै. गोपाल मिष्ठान एण्ड नमकीन कार्नर, सुखाडिया शोपिंग सेन्टर, 4/161–162 जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिच लिया परिचय लेने पर मालूम हुआ कि वह व्यक्ति गोपाल सिंह पुत्र सोनामल टक्कर जाति अरोड़ा निवासी सुखाडिया शोपिंग सेन्टर, 4/161–162 जिला श्रीगंगानगर है एवं फर्म **मै0** गोपाल मिष्ठान एंड नमकीन कार्नर, सुखाडिया शोपिंग सेन्टर, 4/161–162 जिला श्रीगंगानगर पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को चमचम,समोसा आदि बेच रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चमचम के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान के डीपफ्रीजमें खुले मुह के पीपे मे बिक्री हेतु रखे, चमचम लगभग 10 किलो को चमचम देने के काम आने वाले कौचे से अच्छी तरह हिला मिला कर एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए चमचम में से 2 किलो चमचम एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदी, चमचम की कीमत 360/– रूपये अदा की एवं खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए तैयार किया, खाद्य कारोबार कर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सुखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई। लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् खरीद शुदा चमचम को चारो नमूनों शीशियों में बराबर–बराबर भरा। प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली। चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलो को कोर्क से एयरटाईप बन्द किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–865** को नियमानुसार नीचे से उपर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लियां। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2587/एक्ट/2017/2659 दिनांक 22.11.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–865 चमचम अमानक स्तर SUBSTANDARD FOOD** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री गोपाल सिंह पुत्र सोनामल टक्कर, **मै0** गोपाल मिष्ठान एंड नमकीन कार्नर, सुखाडिया शोपिंग सेन्टर, 4/161–162 जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **चमचम** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26(ii) एवं 51** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री गोपाल सिंह पुत्र सोनामल टक्कर (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) ने जरिये अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा खाद्य पदार्थ चमचम का नमूना संख्या के–865 के सम्बन्ध में परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि श्रीमान अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को जारी की गई अभियोजन स्वीकृति नमूना संख्या **के–811** खाद्य पदार्थ घी (सरस) के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत करने हेतु जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्द रिपोर्ट में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मौका पर दिखायें गये लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज किये गयें है जिसके तहत उक्त खाद्य कारोबारकर्ता धारा 31(2) के अधिन आने वाली श्रेणी का है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा उक्त परिवाद सब स्टैन्डर्ड (अमानक) फूड के लिए धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रस्तुत परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) धारा 51 में परिवाद पेश कर रहे है जबकि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता धारा 31(2) के अधीन आने वाली श्रेणी का होने के कारण परिवाद भी धारा 31(2) के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उक्त परिवाद का जबाव आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करने का अधिकार अभियुक्त द्वारा सुरक्षित रखते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों व गलत अभियोजन स्वीकृति नमूना संख्या के–811 के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा 36 (3)(ड) की पालना नहीं की गई है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **चमचम** का सैम्पल **के–865** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2587/ एक्ट/2017/2659 दिनांक 22.11.2017 द्वारा **SUBSTANDARD FOOD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 2006 धारा 26(ii) एवं 51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। राजकीय पैरोकार ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह कहना कि अभियोजन स्वीकृति खाद्य पदार्थ चमचम का नमूना संख्या के–865 के स्थान पर नमूना संख्या **के–811** खाद्य पदार्थ घी (सरस) के विरूद्व परिवाद पेश कियाएक लिपकीय त्रुटि है जो सहवन से अंकित हुई जबकि जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2587/ एक्ट/2017/2659 दिनांक 22.11.2017 द्वारा **SUBSTANDARD FOOD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 2006 धारा 26(ii) एवं 51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा खाद्य पदार्थ चमचम का नमूना संख्या के–865 के सम्बन्ध में परिवाद माननीय न्यायालय में पेश किया है वह अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को जारी की गई अभियोजन स्वीकृति नमूना संख्या **के–811** खाद्य पदार्थ घी (सरस) के विरूद्व पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा उक्त परिवाद सब स्टैन्डर्ड (अमानक) फूड के लिए धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता धारा 31(2) के अधीन आने वाली श्रेणी का होने के कारण परिवाद भी धारा 31(2) के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों व गलत अभियोजन स्वीकृति नमूना संख्या के–811 के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा 36 (3)(b) की पालना नहीं की गई है। परिवाद में धारा 39 का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

हमने परिवाद में अंकित तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा पेश जबाब एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों का गहनता से मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ चमचम का नमूना संख्या के–865 के सम्बन्ध में परिवाद जो इस न्यायालय में पेश किया है वह अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक/एफ.एस.एस.ए/2018/31 दिनांक 12.03.2018 की अभियोजन स्वीकृति/अधिकृत पक्ष के आधार पर पेश किया गया है एवं यह अभियोजन स्वीकृति/अधिकृत पक्ष में नमूना संख्या ''के 811–खाद्य पदार्थ घी सरस '' के लिए जारी की गयी है जबकि वस्तुत नमूना संख्या के–865 चमचम का है। इस तरह से अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर ने अभियोजन स्वीकृति गलत जारी की है जिसके आधार पर परिवाद चलने योग्य नहीं पाया जाने से निरस्त किया जाता है किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह स्वतंत्रता (Librity) रहेगी कि वह अभिहित अधिकारी से सही स्वीकृति प्राप्त कर पुनः परिवाद पेश कर सकता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर